बीमारी | अब तक डेंगू के 29 और चिकनगुनिया के 21 पॉजिटिव मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय

डेंगू-चिकनगुनिया के 4 पॉजिटिव नए मरीज आए सामने

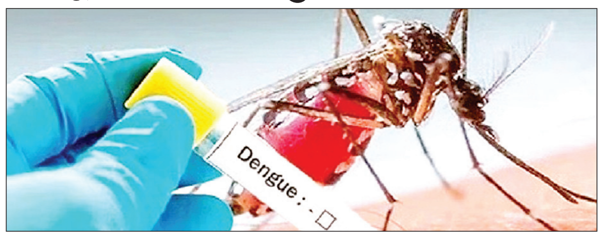

नवभारत,जबलपुर। डेंगू और चिकनगुनिया का अटैक जबलपुर में तेज हो गया है। अब लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत आ चुकी है। मलेरिया अधिकारी डॉ. ब्रजेश पटैल ने नवभारत को बताया कि आईटी पार्क के पास रहने वाले एक पुरूष, भेड़ाघाट निवासी एक युवती, धनवंतरी नगर निवासी एक युवती और मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल की एक युवती डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। इनमें से भेड़ाघाट और धनवंतरी नगर निवासी दोनों युवतियों का चिकनगुनिया भी पॉजिटिव आया है। जानकारी के अनुसार इस प्रकार अब जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक जबलपुर जिले में डेंगू के कुल 29 मरीज और चिकनगुनिया के 21 मरीज सामने आ चुके हैं।

विदित हो कि कुछ दिन पहले अंधमूक बायपास क्षेत्र के 30 वर्षीय पुरूष, पाटन के 48 वर्षीय पुरूष डेंगू पॉजिटिव सामने आए थे वहीं अंधमूक बायपास से लगे रहवासी क्षेत्र में चिकनगुनिया के 3 नए केस सामने आए थे जिनमें 42 वर्षीय पुरुष, 45 वर्षीय पुरुष और 56 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। इन तीनों को जोड़ों में दर्द और बुखार की शिकायत थी। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने शहरवासियों से सतर्क व जागरूक रहने की अपील की है और सलाह दी है बुखार आने पर तत्काल नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं।

कुछ इस प्रकार करें उपाय...

- डेंगू पॉजिटिव मरीज ओआरएस, ज्यादा पानी और नारियल का पानी का सेवन करें।
- हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें।
- पपीते के पत्ते का जूस पिएं।
- खुद से कोई भी दवा या एंटीबायोटिक न लें।
- शरीर को ढ़ंकने वाले पूरे कपड़े पहनें।
- दिन और रात दोनों समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
- घरों और आसपास पानी जमा न होने दें।
- कूलर-टंकियों की नियमित सफाई करें।

सार्वजनिक इलाकों में किया जा रहा लार्वा नष्ट

जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. ब्रजेश पटैल ने नवभारत से कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल गढ़ा, धनवंतरी नगर के आसपास के इलाके में अभी डेंगू का ज्यादा संक्रमण दिखा है यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम को सक्रिय कर दिया गया है। डेंगू व चिकिनगुनिण से निपटने के लिए डेंगू ड्राई डे के नाम से हर बुधवार को संभावित क्षेत्रों में लार्वा टीम फॉगिंग कर रही है वहीं घर घर लार्वा सर्वे, मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर, कलेक्ट्रेट परिसरों में भी लार्वा को खाली कराया जा रहा है।

दहेज हत्या के आरोपी पति को दस साल का सश्रम कारावास

जबलपुर। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी मिलन सिंह लोधी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी मिलन को दस साल के सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र परस्ते ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि कटंगी के ग्राम हिनौता में 9 जनवरी 2022 को तुलसा बाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अदालत को बताया गया कि मृतिका तुलसाबाई की शादी आरोपी मिलन सिंह लोधी से 19 मई 2018 को हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही पति व ससुराल वाले तुलसाबाई को परेशान कर रहे थे। जिस वजह से ही उसने फांसी लगाई थी, जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उक्त मामले में कटंगी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पति को उक्त सजा से दंडित किया।

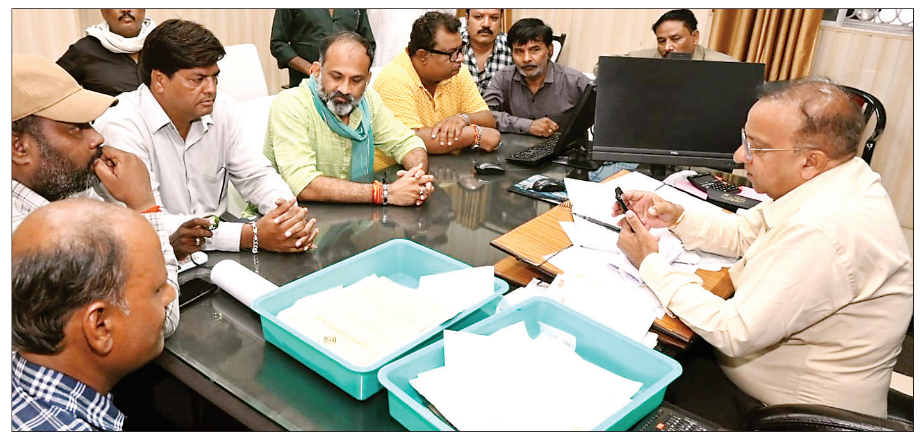

कांग्रेस की शिकायत के बाद लाइनमैन निलंबित

- ई-रिक्शा चालक से नए बिजली कनेक्शन के लिए मांगे गए थे 10 हजार

नवभारत,जबलपुर। बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए गरीब नागरिक से अवैध राशि मांगने का गंभीर मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग द्वारा संबंधित लाइनमैन अरुण विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया है।

शहर कांग्रेस ने निलंबन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार जबलपुर के गजरथ नगर, गंगानगर निवासी एक गरीब ई-रिक्शा चालक से नया बिजली कनेक्शन देने के नाम पर 10,000 की मांग किए जाने की शिकायत कांग्रेसियों द्वारा बिजली विभाग को की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार यह राशि साउथ डिविजन पुरवा बिजली कार्यालय में पदस्थ लाइनमैन अरुण विश्वकर्मा द्वारा मांगी जा रही थी। शिकायत के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग सहित उपलब्ध साक्ष्य भी अधिकारियों को सौंपे गए थे। जिसके बाद संबंधित लाइनमैन अरुण विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि निलंबन प्रारंभिक स्तर पर हुई कार्रवाई है, लेकिन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यह भी पता करना चाहिए इसमें किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका तो नहीं है।शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि गरीब उपभोक्ता से बिजली कनेक्शन के नाम पर 10 हजार की मांग किए जाने की शिकायत अत्यंत गंभीर है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि विभागीय कर्मचारी द्वारा ऐसी मांग किए जाने की शिकायत सामने आती है, तो विभाग की निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

आज गरजेंगे बादल, जिले में कई स्थानों पर बारिश की संभावना

नवभारत,जबलपुर। सावन माह की शुरुआत के साथ जिले में मानसून सक्रिय होने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान कार्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में जिले के कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा या बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 1.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है की दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के चलते आने वाले दिनों में भी रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका के बीच आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है।

मुख्यमंत्री जबलपुर को देंगे 362 करोड़ की सीवेज परियोजना सहित कई विकास सौगातें

- डॉ.मोहन यादव 11 लाख पौधरोपण महाअभियान का करेंगे शुभारंभ

नवभारत, जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 अगस्त को जबलपुर प्रवास के दौरान शहरवासियों को विकास, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी कई बड़ी सौगाते देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावाकी पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, उमरिया में 5 एकड़ के पौध-पहचान पार्क, डुमना में नवग्रह वाटिका और जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान के तहत सोकपिट्स बनाने का शुभारंभ करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव घंटाघर स्थित गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में 362.31 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौंदा, ललपुर व तेवर में बने तीन बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे, जिससे 89 हजार घरों को फायदा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न लॉन्ड्री की सौगात देंगे। वहीं, गुरंदी में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पक्के मत्स्य बाजार का लोकार्पण किया जाएगा, जहाँ 55 व्यापारियों को अत्याधुनिक सुविधाओं वाली दुकानें मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव कार्यक्रम के दौरान ई-सिटी बस का शुभारंभ करेंगे तथा पीएम स्वनिधि के 500 हितग्राहियों को डिजीटल कार्ड प्रदान करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव तिलवारा स्थित नव निर्मित थाना व पुलिस क्वाटर का लोकार्पण भी करेंगे।

कलेक्टर-एसपी ने लिया कार्यक्रम स्थलों का जायजा

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय और नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 अगस्त की दोपहर 12 बजे जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

निकासी सील कर चलाया गया टिकट जांच अभियान

जबलपुर। जबलपुर स्टेशन पर रेल प्रशासन ने शुक्रवार को किलाबंदी जांच अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों टिकट जांच कर्मियों, आरपीएफ, जीआरपी द्वारा स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों की घेराबंदी की गई और ट्रेनों व प्लेटफार्मों पर सघन जांच अभियान चलाया इस कार्रवाई से बिना टिकट व अनियमित टिकट यात्रियों में हड़कम्प मचा रहा मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा के कुशल मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डा. मधुर वर्मा के नेतृत्व में चलाए गए इस औचक अभियान के दौरान स्टेशन के सभी प्रवेश व निकास मार्गों को

पूरी तरह सील कर प्रत्येक यात्री की कड़ाई से चेकिंग की गई। इस विशेष अभियान के तहत मुख्य टिकट निरीक्षकों, उडनदस्ता दल, वाणिज्यिक अधिकारियों और आरपीएफ, जीआरपी की संयुक्त टीमों ने पूरे स्टेशन परिसर को अपनी निगरानी में ले लिया। इस दौरान स्टेशन के सभी फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म और निकास द्वारों पर भारी संख्या में टिकट जाँच स्टाफ तैनात रहा, जिससे बिना टिकट यात्रियों के भागने का कोई रास्ता नहीं बचा।

बारीकी से की गई जांच

प्रत्येक यात्री की जाँच- स्टेशन पर आने और यहाँ से गुजरने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों के प्रत्येक कोच तथा प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर एक व्यक्ति के टिकट, पास और प्लेटफॉर्म टिकट की भौतिक रूप से बारीकी से जाँच की गई। अवैध सामान पर कार्रवाई- यात्रियों के पास उपलब्ध सामान की भी जाँच की गई, तथा निर्धारित सीमा से अधिक या बिना बुक कराए ले जाए जा रहे कमर्शियल सामान पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। रेलवे अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई- रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धाराओं के तहत बिना टिकट या अनियमित टिकट पर यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है। अभियान के दौरान पकड़े गए डिफाल्टरों से मौके पर ही किराया और निर्धारित न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए, इस बार मौके पर ही क्यूआर कोड के माध्यम से कैशलेस भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे यात्रियों को तुरंत डिजिटल रसीद प्राप्त हुई। जुर्माना न देने वाले कुछ यात्रियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की गई।

प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा पद से खुद हो जाएं अलग

- मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के विखंडन का मामला
- प्रदर्शन कर जनसंगठनों ने उठाई आवाज

नवभारत,जबलपुर। जनसंगठनों के पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के विखण्डन के खिलाफ घंटाघर के पास शुक्रवार दोपहर को प्रदर्शन कर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर चिंता और नाराजगी भी व्यक्त की। इस दौरान प्रदर्शन में डॉ. पी.जी. नाजपांडे, टी. के. रायघटक, डॉ.ए.बी. श्रीवास्तव सुशीला कनौजिया, मनीष शर्मा, सुभाष चन्द्रा ने कहा कि

मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के विखण्डन पर जबलपुर जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, महाकौशल के कैबिनेट मंत्रियों- राकेश सिंह, राजेन्द्र शुक्ला और प्रहलाद पटेल की चुप्पी ने जबलपुर के नागरिकों को निराश किया है। सबसे ज्यादा निराशा जगदीश देवड़ा के मौन से हुई है, क्योंकि वे न केवल जबलपुर के प्रभारी मंत्री है, बल्कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी है।

इसलिए जबलपुर के नागरिकों के समक्ष अहम् प्रश्न खड़ा हुआ है कि ऐसे में जबलपुर के हितों के मुद्दे पर चुप रहने वाले वर्तमान जिला प्रभारी मंत्री का जबलपुर को क्या लाभ है? मंत्री जगदीश देवड़ा को ऐसी गलती का स्वयं अहसास करना चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करते हुए प्रभारी मंत्री पद से स्वयं अलग हो जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान डी. के. सिंह, यशवंत कोष्टा, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, एड. घनश्याम सोनकर, डी. आर. लखेरा, अर्जुन कुमार, संतोष श्रीवास्तव, उमा दाहिया, मयंक राज, अंकित गोस्वामी, कुंवर सिंह, प्रफुल्ल सक्सेना, रफीक कामरेड, रियाज कामरेड सहित अन्य मौजूद रहे।

कॉपी देखने के इंतजार में छात्र परेशान

जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल कोर्स की उत्तरपुस्तिका देखने के लिए आवेदन करने वाले छात्र एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने उत्तरपुस्तिका अवलोकन के लिए 1000 रुपये तक शुल्क जमा किया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक न तो कोई सूचना दी गई है और न ही कॉपी देखने की तारीख तय की गई है। इस देरी से विशेष रूप से एटीकेटी परीक्षा देने वाले छात्र असमंजस में हैं। उनका कहना है कि उत्तरपुस्तिका देखने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अंकों में सुधार की संभावना है या दोबारा परीक्षा देनी होगी। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

गुर्रामखेड़ी यार्ड लाइन विस्तार का कार्य पूरा

- जबलपुर-पिपरिया रेलखंड पर बढ़ेगी परिचालन क्षमता

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने जबलपुर-पिपरिया रेलखंड स्थित गुर्रामखेड़ी स्टेशन यार्ड में लाइन विस्तार का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 24 से 30 जुलाई के बीच किए गए इस कार्य के तहत स्टेशन की कुछ रेल लाइनों की लंबाई बढ़ाई गई। रेलवे ने यह कार्य निर्धारित समयावधि में बिना किसी परिचालन बाधा और किसी भी ट्रेन के अतिरिक्त विलंब के संपन्न किया। लाइन विस्तार के बाद अब गुर्रामखेड़ी स्टेशन पर लंबी मालगाड़ियों का ठहराव संभव हो सकेगा। इससे मालगाड़ियों के संचालन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकेगा और मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों को परिचालन में प्राथमिकता देना आसान होगा। रेलवे का मानना है कि इससे जबलपुर-पिपरिया रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारु होगा तथा समयपालनता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

सुरक्षित होंगी यात्री सुविधाएं

जबलपुर रेल मंडल ने कहा है कि रेल अवसंरचना को मजबूत करने और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से माल एवं यात्री दोनों प्रकार की रेल सेवाएं अधिक सुरक्षित, सुगम, विश्वसनीय और समयबद्ध बनेंगी, जिससे यात्रियों और माल परिवहन दोनों को लाभ मिलेगा।

सुनवाई | हाईकोर्ट ने पीएस गृह, डीजीपी सहित अन्य से किया जवाब तलब

फर्जी मेडिकल बिल से लाखों की वसूली, 16 एएसआई को प्रमोशन

जबलपुर। फर्जी मेडिकल बिल प्रकरण में शासन को 66.43 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोपों के बीच 16 एएसआई को पदोन्नति दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले में प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की है।

दरअसल यह मामला भोपाल निवासी एएसआई प्रभांशु सिंह की ओर से दायर किया गया है। जिसमें पुलिस मुख्यालय के 13 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मिनिस्ट्रियल स्टाफ भोपाल के 16 एएसआई को पदोन्नति दी गई। याचिका के अनुसार इन कर्मचारियों से फर्जी मेडिकल बिल मामले में 66.43 लाख रुपये की वसूली का आदेश था। इनमें 12 कर्मचारी पूरी राशि जमा कर चुके हैं, जबकि चार अभी किश्तों में भुगतान कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंक शांडिल्य ने दलील दी कि मप्र शासन के पदोन्नति नियम-2025 के तहत शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली लंबित रहने पर संबंधित कर्मचारी पदोन्नति का पात्र नहीं है। वसूली पूरी होने के बाद भी एक वर्ष तक पदोन्नति नहीं दी जा सकती। याचिका में कहा गया कि पदोन्नति से पहले आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हत्यारें को आजीवन कारावास व जुर्माना

जिला अदालत ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी अजय रैकवार को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राहुल सिंह की अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व पंद्रह सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 2022 को खाईं मोहल्ला सिंधी केम्प निवासी 23 वर्षीय आरोपी अजय रैकवार पिता जीवनलाल की पत्नी पड़ोसी महिला के साथ बैठी थी। दोपहर को उसका पति आरोपी अजय पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। जिसका पड़ोसी दिलशाद ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से दनादन उस पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उक्त मामले में हनुमान ताल पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57